structions to all State Government/UTs that the beneficiaries should be selected from out of this list in Gram Sabha meetings in the presence of block authorities, bank officials and representatives of the people.

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं

2063. **श्री राघवजी:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कौन-कौन सी योजनाएं भेजी गई हैं और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उन योजनाओं के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों (ग्रामीण सड़कें) में सड़कों का निर्माण करना राज्य का विषय है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए योजना प्रस्ताव राज्य सरकारों की वार्षिक योजना में शामिल होते हैं जिस पर योजना आयोग द्वारा हर वर्ष चर्चा की जाती है और इसका अनुमोदन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई योजना प्राप्त नहीं हुई थी।

ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु आबंटन

2064. **श्री राघवजी:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 1996-97 के दौरान राज्यवार आवंटित राशि संलग्न विवरण के अनुसार है। **(नीचे देखिए)** चूंकि संसद द्वारा केन्द्रीय बजट अभी पारित नहीं किया गया है अतः जवाहर रोजगार योजना के लिए वर्ष 1997-98 के लिए आंवटन नहीं किया गया है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय आवंटन

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97
1.	आंध्र प्रदेश	13897.91
2.	अरूणाचल प्रदेश	142.64
3.	असम	4574.54
4.	बिहार	27260.46
5.	गोवा	154.12
6.	गुजरात	5101.00
7.	हरियाणा	1225.45
8.	हिमाचल प्रदेश	489.73
9.	जम्मू व कश्मीर	995.14
10.	कर्नाटक	9332.27
11.	केरल	3395.33
12.	मध्य प्रदेश	17611.61

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97
13.	महाराष्ट्र	15150.04
14.	मणिपुर	182.82
15.	मेघालय	213.92
16.	मिजोरम	90.12
17.	नागालैंड	229.31
18.	उड़ीसा	11274.49
19.	पंजाब	871.51
20.	राजस्थान	7317.12
21.	सिक्किम	83.49
22.	तमिलनाडु	12563.97
23.	त्रिपुरा	237.46
24.	उत्तर प्रदेश	33867.93
25.	पश्चिम बंगाल	12455.47
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	84.41
27.	दादरा व नगर हवेली	45.81
28.	दमन व द्वीप	26.99
29.	लक्ष्यद्वीप	42.32
30.	पांडिचेरी	82.64
		179000.00

Appointment of State Finance Commissions

2065. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the names of States which have since appointed Finance Commissions for devolution of finances to local bodies, as envisaged in the Constitution; and

(b) whether central assistance under different schemes and projects is given direct to the local bodies; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) Barring those States where the provisions of Constitution 73rd Amendment Act, 1992 are not applicable, almost all the States have Constitutted SFCs.

(b) Central assistance under rural development progammes/schemes is given directly to the District Rural Development Agencies being the implementing agencies.

Development of Wasteland in Orissa

2066. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the schemes presently being run by the Government for the development of wasteland;

(b) whether any such scheme has been launched in Orissa during the Eighth Five Year Plan period;

(c) if so, the details thereof and the funds/allocations made therefor; and